

अनुबन्ध पत्र

लोकवाणी सचिव/अध्यक्ष चन्दौली प्रथम पक्ष एवं लोकवाणी केन्द्र संचालक श्री.....
.....पता.....द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक.....को निम्नलिखित शर्तों के
आधीन अनुबन्ध किया जाता है।

प्रथम पक्ष

- 1- SSDG/ई-फार्म्स योजना के अन्तर्गत द्वारा इण्टरनेट पर एक वेबसाईट स्थापित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जनपयोगी सूचनाएं एवं शासकीय योजनाओं के प्रारूप एवं विभिन्न शासकीय सेवाएं उपलब्ध है।
- 2- लोकवाणी समिति चन्दौली SSDG पर कार्य हेतु सभी केन्द्र संचालकों को वेबसाईट पर यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड प्रदान करेंगी।
- 3- लोकवाणी समिति चन्दौली समस्त सूचनाओं एवं योजनाओं को अद्यावधिक करने के लिए सदैव क्रियाशील रहेगी।

द्वितीय पक्ष

- 1- लोकवाणी केन्द्र संचालक लोकवाणी केन्द्र पर कम्प्यूटर आदि सहवर्ती उपकरण स्वयं स्थापित करेगा,जिसके अनुरक्षण एवं संचालन हेतु आवश्यक उपकरणों को व्यवस्थित करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- 2- स्वयं के केन्द्र स्थापना में लोकवाणी केन्द्र को लोकवाणी समिति चन्दौली किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।
- 3- लोकवाणी केन्द्र संचालक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह अपना पंजीकरण लोकवाणी समिति चन्दौली में करायेगा, जिसका पंजीकरण शुल्क रुपये 2,000/-होगा। पंजीयन का नवीनीकरण प्रतिवर्ष कराना अनिवार्य है, जिसका नवीनीकरण शुल्क 2,000/- होगा। इसके अतिरिक्त केन्द्र संचालक को जिला ई-गवर्मेन्स सोसाइटी (लोकवाणी समिति) चन्दौली के नाम रुपये 10,000/- की धरोहर राशि जमा करनी

OKY

Yh

Yh

होगी जो लोकवाणी केन्द्र बन्द होने की स्थिति में केन्द्र संचालक द्वारा लोकवाणी समिति को कोई अवशेष देय है तो उस देय अवशेष को समायोजित कर शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

4- लोकवाणी समिति चन्दौली का यह सर्वाधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी प्रकार की विसंगतियों के चलते लोकवाणी केन्द्र संचालक को 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर देगी। ऐसा करने में लोकवाणी केन्द्र संचालक स्थापित नियमों के तहत लोकवाणी समिति चन्दौली के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकता।

5- जनसामान्य को वांछित सूचनाएं एवं योजनाएं प्रदान के लिये लोकवाणी केन्द्र संचालक अपनी सेवायें उपलब्ध करायेगी। यदि लोकवाणी केन्द्र संचालक के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो लोकवाणी समिति चन्दौली स्तर से परीक्षण कराया जायेगा। शिकायत की पुष्टि हो जाने के उपरान्त आर्थिक दण्ड लोकवाणी केन्द्र संचालक पर लोकवाणी द्वारा लगाया जा सकता है, अथवा अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।

6- लोकवाणी केन्द्र संचालक आवेदक से प्रति आवेदन पत्र की प्राप्ति एवं प्रमाण पत्र के निर्गत हेतु अधिकतम रू0 20/- शुल्क प्राप्त करेगा जिसमें से रू0 10/- लोकवाणी समिति चन्दौली को देय होगी।

7- लोकवाणी केन्द्र संचालक आवेदक से प्रति आवेदन पत्र राजस्व विभाग के खतौनी सेवा को निर्गत हेतु अधिकतम रू0 30/- शुल्क प्राप्त करेगा जिसमें से रू 15/- लोकवाणी समिति चन्दौली को देय होगी।

8- लोकवाणी समिति चन्दौली के किसी भी पदाधिकारी/सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा लोकवाणी केन्द्र का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

9- पंजीयन का नवीनीकरण शुल्क परिवर्तित करने का अधिकार लोकवाणी समिति चन्दौली के पास सुरक्षित है।

10- अनुबन्ध पत्र में दी गई शर्तों का अनुपालन पक्ष द्वारा नहीं किया जाता अथवा अन्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लोकवाणी समिति चन्दौली का होगा एवं प्रकरण के न्यायिक निस्तारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय चन्दौली का होगा।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

1- गवाह का नाम व पता

2- गवाह का नाम व पता

Rky

